न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 19/2016

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
1. आयचुकीदेवी पत्नि गोमाराम जाति कुमावत निवासी झुठा तहसील रायपुर		1. मगाराम पुत्र गोमाराम जाति कुमावत निवासी झुठा तहसील रायपुर 2. ग्राम पंचायत झुठा तहसील रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री अ़ब्दुल रहमान सोढा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री गणसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं.2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16/01/2018

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत झुठा तहसील रायपुर द्वारा मिसल संख्या 11/2014–2015 में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पटटा संख्या 11 दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध पेश की गई। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 158 के तहत बनाप पूर्व पश्चिम 45 फीट एवं उत्तर दक्षिण 25 फीट का पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा चाहा गया था, जो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 196 की आबादी में पट्टा जारी किया गया। इससे पूर्व इसी आबादी भूमि में दिनांक 20.05.1998 को मिसल तैयार कर नीलामी के जरिये 7 भूखण्ड काट कर दिनांक 20.05.1998 को पट्टे जारी किये गये थे। इन पट्टो की पश्चिम भुजा 50 फीट है। जिनकी विकास अधिकारी द्वारा इस आपत्ति के साथ जिला कलक्टर पाली के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की, कि भूखण्ड की कीमत अधिक है तथा कम कीमत पर भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया कि पुनः सुनवाई कर प्रचलित बाजार दर से पट्टा धारक से रकम वसूल करे एवं पूर्व रकम समायोजित की जावे। ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में 18 कम्प्युटराईज्ड मिसल, आवेदन पत्र, बयान, मौका रिपोर्ट आदि तैयार कर मात्र 1046/– रूपये में पट्टा जारी किया गया। जबकि उक्त भूमि के पूर्व में प्रार्थीगण के नाम से पट्टे जारी हो रखे है एवं वर्तमान में पट्टा जारी करने हेतु भूमि उपलब्ध ही नही थी। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्ती का अधिकारी नही था। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को वाणिज्यिक पट्टे जारी किये गये, जो अवैध है। आवेदन पत्र, शपथ पत्र, बयान, नोटिस सभी एक ही दिन में कम्प्युटर से तैयार किये गये है। आपत्ति पत्र कब चस्पा किया गया, दर्ज नही है। उपस्थित व्यक्तियों की सकूनत, वल्दियत जाति आदि दर्ज नही है। निरीक्षण कब किया गया तथा किन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया, आदि स्थिति स्पष्ट नही है। नक्शा फीस, पत्रावली कायम फीस **आदि नही ली गई है तथा पत्रावली एक ही दिन में तैयार कर फैसल की गई है। इस प्रकार** जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वह पूर्णतः विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावे तथा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर, पाली

जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के नाम जब पट्टे जारी किये गये, उस समय उप सरपंच कालुपुरी था, जो प्रार्थी संख्या 1 का पति है, जिसने नियम विरूद्ध कार्यवाही करते हुए अपनी पत्नि व अपने चहेतों के नाम पट्टे जारी करवाये। उन पट्टों की निगरानी जिला कलक्टर, पाली के समक्ष प्रस्तुत की, जो निगरानी स्वीकार की गई तथा पट्टे खारिज किये गये। निगरानी में पारित निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को डीएलसी दर से राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये, किन्तु प्रार्थीगण ने राशि जमा नही करवाई। प्रार्थीगण ने भूमि पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया तथा पुराने पट्टे से रजिस्ट्री करवा कर बेचान आरम्भ कर दिया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस बल से कब्जा खाली करवाया। प्रार्थीगण ने ग्राम पंचातय द्वारा जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत न कर माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। चूंकि जैर निगरानी पट्टे की भूमि मौके पर खाली थी, इस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पट्टे जारी किये है। जिसमें किसी प्रकार का अनियमितता नही है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, उसकी प्रार्थीगण से तामील भी नही करवाई गई एवं यदि चस्पा किया गया हो, तो उस पर दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी नही है। अप्रार्थीगण द्वारा पट्टो की वैधता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कथन नही कहा है। पट्टे पुनः कम दरों पर जारी किये गये है। सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि विरूद्ध रूप से अपनाई गई है। अतः निगरानी स्वीकार करावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत झुठा तहसील रायपुर द्वारा मिसल संख्या 11/2014-2015 में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पटटा संख्या 11 दिनांक 20.08.2014 के विरूद्ध पेश की गई। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कम्प्युटराईज्ड आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर नियम 158 के तहत आवासीय पट्टा प्रदान कराने का निवेदन किया। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 05.05.2014 के अनुसार आवेदन पत्र आगामी बैठक में रखने का निर्णय पारित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आगामी बैठक दिनांक 12.05.2014 को रखी गई, जिसमें प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार "सरपंच महोदय ने बताया कि मौके पर नक्शे पर मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा बनाने की कार्यवाही की जावे।" इसी बैठक में नियम 146 के तहत तीन वार्ड पंचों की कमेटी बनाई गई, किन्तु उक्त कमेठी में वार्ड पंच कौन है ? यह स्पष्ट नही किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 5 में वार्ड पंचों की रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित किया जाकर नियम 147 के तहत अस्थाई पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया तथा नियम 148 के तहत तीस दिन की आपत्तियां आमन्त्रित करने का सूचना पत्र जारी किया गया। इसके पश्चात उक्त मिसल ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.08.2014 में प्रस्तुत हुई, जिसमें प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार नियम 158 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख जारी किया गया।

ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 16.01.2013 को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिक्रमण हटाने एवं पूर्व में जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया को व्यक्तिशः नोटिस जारी किये। उक्त नोटिस प्रोपर तामील करवाया जाना प्रकट नही हुआ है। दिनांक 25.07.2014 को ग्राम पंचायत द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर को अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध करवाने का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निवेदन किया। इस पर दिनांक 28.07.2014 को पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया है, इस तथ्य की पुष्टि ग्राम पंचायत की मौका फर्द दिनांक 28.07.2014 से होती है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.07.2014 के विरूद्ध **प्राथीया द्वारा रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में की, जिसमें दिनांक 21.08.2014** को स्थगन आदेश जारी किया गया तथा याचिकाकर्ता को आदेश दिया गया कि दो सप्ताह के भीतर वादस्थ भूखण्ड की वर्तमान बाजार दर से राशि ग्राम पंचायत के समक्ष जमा करावे तथा यदि याचिकाकर्ता इसमें Fail होता है, तो ग्राम पंचायत उक्त नोटिस की आगे की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगी। इसकी पालना में प्रार्थीगण द्वारा राशि भी ग्राम पंचायत के समक्ष जरिये डी0डी0 जमा करवाई गई है तथा प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन करने के प्रावधान है। जिसके अनुसार पंचायत, गांव आवंटितियों में, 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो के सदस्यों, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है, और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 नियम 158 के तहत भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नही ? इस तथ्य पर किसी प्रकार से जांच नही की गई। आवेदक द्वारा नियम 145 के तहत आवेदन पत्र तो प्रस्तुत कर दिया, किन्तु आवेदन फीस एवं नक्शा फीस जमा करवाई अथवा नही ? न तो रसीद संख्या अंकित है तथा ही इसका विवरण अंकित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के तहत जो वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया, उसमें किन किन वार्ड पंचों को मनोनित किया गया, उसका बैठक कार्यवाही विवरण में भी अंकन नही है। इसके अतिरिक्त जो आपत्ति नोटिस जारी किया गया है, वह **ग्राम पंचायत बर, पंचायत समिति रायपुर में स्थित प्लॉट संख्या 18** के सम्बन्ध में जारी किया गया है तथा उक्त भूखण्ड हेतु किस व्यक्ति द्वारा आवेदन किया गया है, उसका अंकन आपत्ति इश्तिहार में नही है तथा न ही आपत्ति इश्तिहार नियमों में विहित प्रारूप संख्या 22 में जारी किया गया है। मिसल के संलग्न जो बयान है, उन बयानों पर यह भी अंकित नही है कि उक्त बयान किन व्यक्तियों द्वारा दिये गये है। इन समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 158 में दी गई प्रक्रिया की पूर्णतः पालना नही की है। इस भूमि के सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर आबादी भूमि का विक्रय प्रचलित बाजार दर से बहुत कम राशि पर करने के कारण पट्टे निरस्त कराने का निवेदन किया था, उक्त निगरानी में दिनांक 26.07.2001 में इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर जैर निगरानी पट्टे खारिज किये गये एवं प्रकरण ग्राम पंचायत को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि विधिवत पंचायत नियमों की पालना करते हुए भूमि की वर्तमान एवं तात्कालिक बाजार दर /प्रचलित दर पर भूमि पुनः विक्रय कर बाद सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करें एवं पूर्व **में ली गई राशि को समायोजन करते हुए नये सिरे से पट्टा जारी करें। इन निर्देशों की** पालना में ग्राम पंचायत को नियम 150 से 154 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए भूखण्डों की नीलामी कार्यवाही करनी चाहिये थी, किन्तु ग्राम पंचायत ने नये सिरे से नियम 158 के तहत पट्टे जारी किये। पूर्व में वित्तिय हानि को दृष्टिगत रखते हुए पट्टे को निरस्त किया गया था एवं उस समय भूखण्ड 1800/– रूपये में नीलाम किया गया था तथा वर्तमान में दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से सुकराना राशि 1046/– रूपये प्राप्त करते

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हुए पट्टा जारी किया गया है, जो पूर्व में जरिये नीलामी प्राप्त राशि से भी कम है। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत को भारी वित्तिय हानि भी हुई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत झुठा तहसील रायपुर द्वारा मिसल संख्या 11/2014-2015 में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.08.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में जारी पटटा संख्या 11 दिनांक 20.08.2014 को निरस्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायत झुठा को निर्देश दिये जाते है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2001 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन रिट याचिका में होने वाले निर्णय के अनुक्रम में विधि सम्मत कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत को रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

आदेश आज दिनांक 16/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली